

30.6.22

पत्ताबली पेश हुई। बकौल प्रकाश राम सुबुपा स्थित।
बकौल बादी छ बादी एवं बकौल परिवारियों को न्यायालय
समम तक जाए कर आवाज लगवाई गई लेकिन कोई -
उपाय नहीं हुए। और जा-ही प्रमाण अणतर दिये -
जाने पर प्रतिवादीयों को नामील हेतु तलबाना नोटिस
पेश किया जा ही किये गये हैं।

अतः बादी का बाद अन्तर्गत कारा 53, 188 रा हो ऐ 0 -
प्रमाण अणतर दिये जाने पर भी प्रतिवादीयों को नामील
तलबी हेतु तलबाना नोटिस पेश नहीं किये गये नैसभाव में
अन्तर्गत आदेश 109 नियम 05 को तहत खारिज किया -
जाता है। पत्ताबली में सहि सुमार होकर नम्बर से नाम
होकर दाखिल दफ्तर है। निर्णय खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साँबर लेक

